संख्या-983/2026/2496/22-2-2025-17(260)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजू पुत्र श्री रघुवीर, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-47880/प्रो0अनु0(2)-309/2025(बैठक दिनांक 19.12.2025),दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजू पुत्र श्री रघुवीर, हिसामपुर मजरा-जकरिया, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। 1-बन्दी द्वारा दिनांक 14.11.2002 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू मारकर व तमन्चें से गोली मारकर टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। 2- बन्दी द्वारा दिनांक 27.11.2009 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-(1)-एस०टी०नं०-78, 222/2003 में धारा-147,148, 302/149 आई०पी०सी० व 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-3, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक-22.01.2025 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। (2)-एस0टी0नं0-518/2011 में धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.10.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ में लम्बित है, बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 19.12.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 02 माह, 09 दिन एवं द्वितीय केस में दिनांक 19.12.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 29 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नही आने, बन्दी के भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के पुनः अपराध कर सकने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि 1-दिनांक 14.11.2002 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू मारकर व तमन्चें से गोली मारकर टिन्कू उर्फ ज्ञानेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2-दिनांक 27.11.2009 को अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर रामनरेश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित्त जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार-180 के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी संजू पुत्र श्री रघुवीर को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संजू (बन्दी सं0-47570) पुत्र श्री रघुवीर, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-983/2026/2496(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।